अति महत्वपूर्ण/विधानसभा मामला
विशेष पत्र वाहक/ई–मेल द्वारा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F.No 234/1301/HFW/QC/2023/ 2971 दिनांकः– 16/12/2023

सेवा में,

श्रीमान उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली–110054

विषय : **सातवी विधानसभा का चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र–2023), माननीय विधायक श्री राजेन्द्र पाल गौतम द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं0 136 दिनांक 18.12.2023 के संदर्भ में।**

महोदय/महोदया,

यह पत्र आपके पत्र सं0 एफ.11(बी–1)VII/2020-25/वि.स.स./प्रश्न शा./6316 दिनांक 07.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में इस पत्र के साथ माननीय विधायक श्री राजेन्द्र पाल गौतम द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 136 का उत्तर निर्धारित प्रारूप में (100 प्रतियां) आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से प्रेषित किया गया है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार (100 प्रतियां)

भवदीय

उप–सचिव (प्र0शा0)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Deputy Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

Scanned with OKEN Scanner

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 136
दिनांक : 18.12.2023
प्रश्नकर्ता का नाम : मा0 विधायक श्री राजेन्द्र पाल गौतम
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट व राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में पैथ लैब लगभग बंद पडे हैं और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं;	1. दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में दिनांक 11.10.23 तक डीएससीआई ऑन्कोपैथालोजी में निम्नलिखित परीक्षण ऑन्कोपैथोलॉजी (हिस्टो, साइटो) विभाग में क्रियाशील हैं। 1. सभी बायोप्सी और कैंसर नमूनों का प्रसंस्करण और रिपोर्टिंग 2. स्त्रीरोग संबंधी और गैर स्त्रीरोग संबंधी कोशिका विज्ञान प्रसंस्करण और रिपोर्टिंग 2. हालांकि, उपभोग्य सामग्रियों की अनुलब्धता के कारण इम्यूनो हिस्टो केमिस्ट्री सेवाएं हाल फिलहाल में रूकी हुई हैं। उन्हें पूरी तरह से फिर से कार्यरत करने के प्रयास किये जा रहे हैं। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पैथलेब सुचारू रूप से चल रहा है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पैथ लैब सुचारू रूप से कार्यरत हैं।
ख	यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता
ग	क्या यह सत्य है कि उपरोक्त दोनों अस्पतालों में स्टाफ की भर्ती पूरी नहीं होने की वजह से व पैथ लैब में स्थापित मशीनों की समय पर मैंटनेस नहीं हो पाने की वजह से यह लैब अपनी क्षमता अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही हैं,	सत्य नहीं है। 1. दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में (ऑन्कोपैथालॉजी हिस्टो) साइटो पैथोलोजी में एएमसी न होने के कारण कोई भी मशीन बंद नहीं है। पैथलैब में लगभग अधिकांश मशीने चालू हैं और इनका निर्धारित मैंटनेस होता है। पैथलैब में स्थापित मशीनों की मैंटनेस नियमित रूप से हो रही है। 2. राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पैथ लैब सुचारू रूप से कार्यरत हैं।
घ	उपरोक्त दोनों अस्पतालों में स्टाफ की भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी और एएमसी की पेमेंट कब तक हो जाएगी;	1. दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट समय–समय पर स्टाफ की भर्ती हेतु प्रयासरत है एवं ही में विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती हेतु साक्षात्कार हुए हैं। प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक की भर्ती विचाराधीन है। मशीनों की एएमसी/सीएमसी के सैंक्शन कराने की प्रक्रिया जारी है। 2. राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में संकाय सदस्यों और अन्य समूह ए अधिकारी की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । अस्पताल प्रशासन जरूरत के आधार पर विभिन्न पदों का विज्ञापन कर रहा है तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया जारी है। आउटसोर्स आधार पर नर्सिंग, पैरामेडिकल और मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जेम से कोडल औपचारिताओं के बाद चयन किया जाएगा। राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में एएमसी/सीएमसी का पेंमेंट रिलीज किया जा रहा है और लगभग सारी मशीनों के एएमसी/सीएमसी का पैमेंट जल्द कर दिया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

ङ	क्या यह सत्य है कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट व राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, गुरू तेग बहादुर हॉस्पिटल उपरोक्त हॉस्पिटलों में ठेकेदारी के तहत काम करने वाले एन.ओ, एम.टी.एस., सिक्योरिटी गार्ड व सफाई कर्मचारियों आदि को न तो समय पर सैलरी मिलती है और न ही ठेकेदार उनको पूरी तनख्वाह देती है तथा पी.एफ, ई.एस.आई. का पैसा भी जमा नहीं करते;	1. वर्तमान में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को मेसर्स आईसीएसआईएल के माध्यम से नियुक्त किया गया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है औरर भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक उपक्रम है। दिल्ली राज्य कैंसर चिकित्सा संस्थान में ठेकेदारों द्वारा तैनात सभी आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड या अन्य कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार सैलरी से दी जा रही है। उपयुक्त ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. योगदान भी जमा कर रहे हैं। 2. आरजीएसएसएच में आउटसोर्स एजेंसियों को भुगतान की प्रक्रिया जारी है। कभी–कभी देरी हुई है यथा संभव प्रयास जारी हैं व भविष्य में भुगतान समय पर किया जायेगा। (श्रम विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक मजदूरी के अनुसार आरजीएसएसएच, एनओ, एमटीएस, सुरक्षा गार्ड और सेनेटरी अटेंडेंट जैसी आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों को मजदूरी का भुगतान किया करता है।) 3. गुरू तेग बहादुर हॉस्पिटल में पांच एजेंसी काम कर रही है जो कि निम्न है:– क. एमएस वेल प्रोटेक्ट मैनपावर सर्विसेस (सिक्यूरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर) ख. एमएस शिवालिक हाउस कीपिंग सर्विसेस (सफाई कर्मचारी) ग. एमएस एचएलएल लाइफकेयर (सिक्यूरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर) घ. एमएस जी.टी.आई. इन्फोटेल ड. एमएस जिए डिजिटल वेब वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इनमें से एमएस शिवालिक हाउस कीपिंग सर्विसेस के कर्मचारियों से वेतन समय पर न मिलने न ही पूरी तनख्वाह देने तथा समय पर पी.एफ., ई.एस.आई. का पैसा जमा न कराने की शिकायत मिली है जिस पर संबंधित शाखा से कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का समापन कर दिया है। रिपोर्ट पर प्रशासनिक कार्यवाही अस्पताल द्वारा की जाएगी। अस्पताल ने इस संदर्भ की रकम (ESI, EPF & GST, Vendor Commission) का भुगतान कांट्रेक्टर को नहीं किया है और इस को रोका हुआ है।
च	कृपया हॉस्पिटल में सभी ठेकेदारों के यहां काम करने वाले कर्मचारियों का ई.एस.आई., पी.एफ. सहित पूर्ण डाटा उपलब्ध करवाया जाए;	इस संबंध में उपरोक्त अस्पतालों से प्राप्त डाटा ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो अत्यधिक मात्रा में है जिसे विभाग द्वारा जांचा जा रहा है तथा इस समय विधानसभा में भेजा जाना उचित नहीं होगा। जांचोपरान्त सम्बन्धित डाटा विधानसभा को भेज दिया जाएगा।
छ	क्या इन ठेकेदारों की बजाए आईसीएसआईएल के तहत भर्ती किए जाने का कोई प्रावधान है ताकि इन मजदूरों को शोषण से बचाया जा सके; और	1. दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में सभी आउटसोर्स कर्मचारी वर्तमान में मेसर्स आईसीएसआईएल के माध्यम से पहले से ही कार्यरत है। एवं यह यह नीतिगत मामला है एवं जीएफआर 149 के तहत आउटसोर्स एजेंसी को GeM से लिया जाता है।
झ	यदि नही तो इसके क्या कारण हैं?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

विभाग अध्यक्ष
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dr. S.B. Deepak Kumar
Secretary (H&FW)

Scanned with OKEN Scanner